



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ,  
जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - http://govtmmcollegekhadgawan.in/

AISHE CODE - C-9695

**6.2.1 The functioning of the institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative setup, appointment and service rules, procedures, deployment of institutional Strategic/ perspective/development plan etc.**

Response:

Sl. No.	CONTENTS	PAGE NO.
01	Procedure and Policies of College	02-02
02	College Committee for Grievance	03-22
02	Grievance redressal Policy	23-24
03	Scan Copy of appointment and service rules of C.G. Government	25-37
04	Sanction of post all staff of college and guest faculty, job supporting staff as per UGC and state government rules	38-42
04	Photographs of smart class room,	43-46
05	Covide-19 awareness programs relevant documents & Photographs	47-79

  
**I.Q.A.C. Incharge**  
**IQAC Co-ordinator**

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan  
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)  
**Principal**

**PROCEDURE AND POLICY**  
**GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE, KHADGAWAN, DIST-M.C.B. (C.G.)**

The College ensures optimal allocation and utilization of the funds for maintenance and upkeep of different facilities in consultation with purchase committee of the college. Being a Government college, the maintenance of building is undertaken by the state PWD. Minor maintenance works are done with funds from the Jan-Bhagidari-Samiti.

**1. Laboratory:-** There are seven well-equipped laboratories. The laboratories and their equipments are maintained by regular Lab-Technician and Lab-Attendants. The laboratories are utilized by student to perform various experiments every day under the supervision of concerning faculty member.

**2. Library:-** The library advisory committee is constituted to look into the smooth and efficient functioning of the library and also allocate funds for the purchase of books and journals. Library staff ensures the maintenance of library services and help students in searching and lending books in the library. Every year in the beginning of the session, students are motivated to register themselves in library to use INFLIBNET. The college also has PG Departmental library for the benefit of the respective faculty and students.

**3. Sports Complex:-** The Sports committee of the college is in-charge of the sports complex and equipment. Grade IV staff assigned for Ground, Courts, Indoor Stadium and Gym maintenance and repair work. The sport materials issued to student for free usage before after class time. Gym is kept open for all students to make use of the Gym facility regularly.

**4. Computer:-** The college ICT committee is responsible for the maintenance of the computers and smooth functioning of the network facilities in the college. The college has well-equipped computer lab in computer department and in library with Internet connectivity. Student and faculty avail computer labs for their Assignments, Projects and other Academic works.

**5. Classrooms:-** Regular cleaning and dusting of the classrooms, corridors, toilets, faculty rooms, office, library, college compound etc. are done Grade IV staff. Students are sensitized regarding cleanliness and motivated for energy conservation by careful use of electricity in classrooms. The college Janbhagidari fund is utilized for maintenance and minor repair of furniture and other electrical equipment. The time-table of the college should be prepared in a manner that every classroom should be occupied and fully utilized by students.

**6. Others:-** Girl's common room, Reading room, water purifier, Fire Extinguisher, canteen etc. facilities available in the college are fully utilized and maintained.

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, खड़गवां  
जिला – कोरिया (छ.ग.)

क्रमांक/164 (B) समिति / 2018-19

खड़गवां दिनांक..14.09.2018

आदेश

शासकीय नवीन महाविद्यालय खड़गवां, जिला-कोरिया (छ.ग.) में सत्र 2018-19 हेतु विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

—00—

1. स्टाफ कौंसिल-

1.अध्यक्ष	-	डॉ. अमित कुमार बावरिया
2. सचिव	-	डॉ. अजय कुमार सोनी
3. सदस्य	-	महाविद्यालय के समस्त स्टाफ

2. अनुशासन/रैगिंग नियंत्रण समिति-

1.डॉ.दीपक सिंह	-	संयोजक
2.डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
4. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य

3. क्रय समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
4. डॉ.दीपक सिंह	-	सदस्य

4. महिला सेल-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य

5. अजजा/अजा/अपिव/ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ -

1.. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

6. सांस्कृतिक एवं युवा गतिविधि समिति-

1. डॉ.योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य

7. कैरियर गाइडेंस सेल-

1. डॉ. अमित कुमार बावरिया	-	संयोजक
2.. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य

PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Khadaawan, Distt.-Korea (C.G.)

8. छात्र संघ समिति-	1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
9. क्रीड़ा समिति-	1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
	2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
10. अपलेखन समिति-	1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
	2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
	3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
	4. श्री युवराज सिंह	-	सदस्य
11. ईको क्लब/स्वच्छता समिति-	1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
	2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
	3. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
12. छात्रवृत्ति समिति-	1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
	2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
	3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
13. ग्रंथालय समिति-	1. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	संयोजक
	2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
	3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
	4. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
14. परीक्षा प्रकोष्ठ-	1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
	2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
	3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
15. सूचना का अधिकार/लोक सेवा गारंटी-	1. डॉ. अमित कुमार बावरिया	-	जन सूचना अधिकारी (प्राचार्य)
	2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सहायक जन सूचना अधिकारी
16. RUSA प्रभारी-	डॉ. दीपक सिंह		
17. एलुमनी समिति-	1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
	2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य

  
 PRINCIPAL  
 Govt. Naveen College  
 Khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)



18. U.G.C./A.I.S.H.E. प्रभारी—

डॉ.योगेश कुमार तिवारी

19. महाविद्यालय प्रवेश समिति—

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. दीपक सिंह          | — | संयोजक |
| 2. डॉ. अमित कुमार बावरिया | — | सदस्य  |
| 3. डॉ. अजय कुमार सोनी     | — | सदस्य  |
| 4. डॉ.योगेश कुमार तिवारी  | — | सदस्य  |
| 5. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |



प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला—कोरिया (छ.ग.)

PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)

खड़गवाँ दिनांक 14/09/2018

पृष्ठ क्रमांक /165(B) समिति / 2018-19

प्रतिलिपि:—

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नया रायपुर, (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग—अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय—बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....  
..... को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
5. कार्यालयीन/व्यक्तिगत नरती हेतु।



प्राचार्य

शासकीय नवीन महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला—कोरिया (छ.ग.)

PRINCIPAL  
Govt. Naveen College  
Khadgawan, Distt.-Korea (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ  
जिला :- कोरिया (छ.ग.)

Email- govtnaveencollege@gmail.com

क्रमांक /131 (A) समिति / 2019-20

खड़गवाँ दिनांक..18/09/2019

आदेश

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला-कोरिया (छ.ग.) में सत्र 2019-20 हेतु विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों का निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेंगे।

1. स्टाफ कौंसिल-

- |            |   |                            |
|------------|---|----------------------------|
| 1. अध्यक्ष | - | प्राचार्य                  |
| 2. सचिव    | - | श्री शत्रुघन सोनवानी       |
| 3. सदस्य   | - | महाविद्यालय के समस्त स्टाफ |

2. अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | संयोजक |
| 2. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | सदस्य  |
| 3. श्रीमती आँचल सिंह      | - | सदस्य  |
| 4. श्रीमती हेमलता साहू    | - | सदस्य  |

3. क्रय समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | संयोजक |
| 2. डॉ. अजय कुमार सोनी     | - | सदस्य  |
| 3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | सदस्य  |
| 4. डॉ. दीपक सिंह          | - | सदस्य  |

4. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ/पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ / अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ -

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी | - | संयोजक |
| 2. श्री जनेश कुमार सिंह | - | सदस्य  |
| 3. श्री युवराज सिंह     | - | सदस्य  |

5. आंतरिक शिकायत एवं महिला उत्पीड़न-

- |                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| 1. श्रीमती आँचल सिंह    | - | संयोज |
| 2. श्री शत्रुघन सोनवानी | - | सदस्य |
| 3. कु. आरती यादव        | - | सदस्य |
| 4. कु. अकांक्षा         | - | सदस्य |

  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khaddawan, Distt. Korea (C.G.)

JAN 10 2019  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
KOREA (C.G.)

6. कैरियर गाइडेंस,काउंसलिंग व मोटिवेशनल प्रकोष्ठ-

1. डॉ. अमित कुमार बावरिया	-	संयोजक
2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
3. डॉ. दीपक सिंह	-	सदस्य
4. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
5. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य

7. सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री बबलू प्रसाद चर्मकार	-	सदस्य
4. कु. इन्द्रमनी	-	सदस्य
5. श्री प्रकाश कुमार	-	सदस्य
6. कु. श्याम बाई	-	सदस्य
7. श्री जयकरन	-	सदस्य

8. छात्र संघ समिति-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य

9. क्रीड़ा समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	सदस्य
3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य

10. ग्रंथालय समिति-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
4. श्री युवराज सिंह	-	सदस्य



PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

11. राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. अमित कुमार बावरिया | - | संयोजक |
| 2. डॉ. अजय कुमार सोनी     | - | सदस्य  |
| 3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | सदस्य  |
| 4. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | सदस्य  |

12. भूतपूर्व विद्यार्थी समिति-

- |                         |   |        |
|-------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी | - | संयोजक |
| 2. डॉ. अजय कुमार सोनी   | - | सदस्य  |
| 3. डॉ. दीपक सिंह        | - | सदस्य  |
| 4. श्रीमती आँचल सिंह    | - | सदस्य  |

13. परीक्षा प्रकोष्ठ-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. दीपक सिंह          | - | संयोजक |
| 2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |
| 3. श्री जनेश कुमार        | - | सदस्य  |

14. छात्रवृत्ति समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | संयोजक |
| 2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |
| 3. श्री जनेश कुमार        | - | सदस्य  |

15. अपलेखन समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | संयोजक |
| 2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | सदस्य  |
| 3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |
| 4. श्री युवराज सिंह जगत   | - | सदस्य  |

16. इको क्लब/पर्यावरण/स्वच्छता समिति-

- |                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी     | - | संयोजक |
| 2. डॉ. अजय कुमार सोनी       | - | सदस्य  |
| 3. श्रीमती आँचल सिंह        | - | सदस्य  |
| 4. श्री बबलू प्रसाद चर्मकार | - | सदस्य  |

  
**PRINCIPAL**  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khaddawan, Distt. Korea (C.G.)

17. सूचना का अधिकार/लोक सेवा गारंटी-

- |                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1.डॉ.अमित कुमार बावरिया  | - | जनसूचना अधिकारी(प्राचार्य) |
| 2.डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | सहायक,जनसूचना अधिकारी      |

18. I.Q.A.C/U.G.C./A.I.S.H.E. समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | संयोजक |
| 2. डॉ. दीपक सिंह          | - | सदस्य  |
| 3. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | सदस्य  |
| 4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |

19. नैक प्रत्यायन समिति-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | - | संयोजक |
| 2. डॉ. अजय कुमार सोनी     | - | सदस्य  |
| 3. डॉ. दीपक सिंह          | - | सदस्य  |
| 4. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | सदस्य  |
| 5. श्रीमती आँचल सिंह      | - | सदस्य  |
| 6. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |

  
**PRINCIPAL**  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

Handwritten text and stamp at the bottom right of the page.



20. महाविद्यालय प्रवेश समिति-

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. डॉ. अजय कुमार सोनी (कला-संकाय)         | - | संयोजक |
| 2. डॉ. दीपक सिंह (कला-संकाय)              | - | सदस्य  |
| 3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी (विज्ञान-संकाय) | - | संयोजक |
| 4. श्री शत्रुघ्न सोनवानी (वाणिज्य-संकाय)  | - | संयोजक |

(डॉ. अमित कुमार बावरिया)

प्राचार्य  
PRINCIPAL

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

पृष्ठ क्रमांक /131(B)/ समिति / 2019-20  
प्रतिलिपि:-

खड़गवाँ दिनांक 18/09/2019

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग-अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय-बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित अधिकारी / कर्मचारी.....  
..... को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन / व्यक्तिगत नस्ती हे

(डॉ. अमित कुमार बावरिया)

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

Email- govtnaveencollege@gmail.com

क्रमांक/164 / समिति / 2020-21

खड़गवाँ दिनांक 23/12/2020

// आदेश //

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला-कोरिया (छ.ग.) में सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों का निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेंगे।

प्राचार्य/चेयरमैन – डॉ. अजय कुमार सोनी

1. स्टाफ कौंसिल-

1. अध्यक्ष	-	प्राचार्य
2. सचिव	-	डॉ. दीपक सिंह
3. सदस्य	-	महाविद्यालय के समस्त स्टाफ

2. अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य

3. क्रय समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. दीपक सिंह	-	सदस्य
3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य


4. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ/पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ / अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ -

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य

5. आंतरिक शिकायत एवं महिला उत्पीड़न-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. कु. ललिता	-	सदस्य
4. कु. इन्द्रमनी	-	सदस्य

  
23/12/2020  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)



6. कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग व मोटिवेशनल प्रकोष्ठ—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. दीपक सिंह          | — | संयोजक |
| 2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | सदस्य  |
| 3. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |
| 4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | — | सदस्य  |
7. सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | संयोजक |
| 2. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |
| 3. डॉ. दीपक सिंह          | — | सदस्य  |
| 4. श्री जयकरण             | — | सदस्य  |
| 5. कु. ज्योति यादव        | — | सदस्य  |
| 6. कु. ममता साहू          | — | सदस्य  |
8. छात्र संघ समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. दीपक सिंह          | — | संयोजक |
| 2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | सदस्य  |
| 3. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |
9. क्रीड़ा समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | संयोजक |
| 2. डॉ. दीपक सिंह          | — | सदस्य  |
| 3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | — | सदस्य  |
| 4. श्री जयकरण             | — | सदस्य  |
| 5. कु. सरस्वती            | — | सदस्य  |
10. ग्रंथालय समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. दीपक सिंह          | — | संयोजक |
| 2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | सदस्य  |
| 3. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |
| 4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | — | सदस्य  |
| 5. श्री युवराज सिंह       | — | सदस्य  |
| 6. श्री जनेश कुमार        | — | सदस्य  |
11. राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | संयोजक |
| 2. डॉ. दीपक सिंह          | — | सदस्य  |
| 3. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | सदस्य  |
12. भूतपूर्व विद्यार्थी (एलुमनी) संपर्क समिति—
- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी | — | संयोजक |
| 2. श्री शत्रुघन सोनवानी   | — | सदस्य  |
| 3. डॉ. दीपक सिंह          | — | सदस्य  |

*[Signature]*  
23/12/2020  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

13. परीक्षा प्रकोष्ठ-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

14. छात्रवृत्ति समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

15. अपलेखन समिति-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
4. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

16. ईको क्लब/पर्यावरण/स्वच्छता समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
3. श्री जयकरण	-	सदस्य
4. श्री अक्षय यादव	-	सदस्य
5. कु. ज्योति यादव	-	सदस्य
6. कु. सुनीता	-	सदस्य

17. सूचना का अधिकार/लोक सेवा गारंटी-

1. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	जन सूचना अधिकारी (प्राचार्य)
2. डॉ. दीपक सिंह	-	सहायक, जन सूचना अधिकारी

18. नैक प्रत्यायन समिति-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. डॉ. दीपक सिंह	-	सदस्य
3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
6. श्री युवराज सिंह जगत	-	सदस्य

19. I.Q.A.C. समिति-

1. डॉ. दीपक सिंह	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

  
23/12/2020  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)



20. महाविद्यालय प्रवेश समिति-

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी (विज्ञान संकाय) | - | संयोजक |
| 2. डॉ. दीपक सिंह (कला संकाय)              | - | संयोजक |
| 3. श्री शत्रुघन सोनवानी (वाणिज्य संकाय)   | - | संयोजक |

21. U.G.C./A.I.S.H.E.

डॉ. योगेश कुमार तिवारी - प्रभारी

*Kumari*  
23/12/2020

(डॉ. अजय कुमार सोनी )

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

पृष्ठ क्रमांक / 165 / समिति / 2020-21

खड़गवाँ दिनांक 23/12/2020...

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग-अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय-बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....  
..... को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन/व्यक्तिगत नस्ती है

*Kumari*  
23/12/2020

(डॉ. अजय कुमार सोनी )

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ  
जिला-कोरिया (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khaddawan, Distt. Korea (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ  
जिला –कोरिया (छ.ग.)

Email- govtnaveencollege@gmail.com Website- govttmmcollegekhadgawan.in College Code -3706

क्रमांक/360 / समिति / 2021-22

खड़गवाँ दिनांक...30/11/2021

// आदेश //

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला-कोरिया (छ.ग.) में सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों का निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेंगे।

प्राचार्य/चेयरमैन-डॉ. अजय कुमार सोनी

1. स्टाफ कौंसिल-

1.अध्यक्ष	-	प्राचार्य
2.सचिव	-	डॉ. योगेश कुमार तिवारी
3.सदस्य	-	महाविद्यालय के समस्त स्टाफ

2. अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

3. क्रय समिति-


1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य

4. अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ/पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ / अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ -

1.श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2.श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
3.श्री युवराज सिंह	-	सदस्य

5. आंतरिक शिकायत एवं महिला उत्पीड़न-

1. श्रीमती आँचल सिंह	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. कु. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
4. कविता सोनवानी	-	सदस्य
5. कु. सपना टोप्पो	-	सदस्य

  
30/11/2021  
PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

6. कैरियर गाइडेंस,काउंसलिंग व मोटिवेशनल प्रकोष्ठ-

1. डॉ अजय कुमार सोनी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
4. श्रीमती आंचल सिंह	-	सदस्य
5. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

7. सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्रीमती आंचल सिंह	-	सदस्य
4. कु .पुष्पा सोनम	-	सदस्य
5. कु. कविता सोनवानी	-	सदस्य
6. श्री संस्कार जायसवाल	-	सदस्य

8. छात्र संघ समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्रीमती आंचल सिंह	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

9. क्रीडा समिति-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्री बबलू प्रसाद चर्मकार	-	सदस्य
3. श्रीमती अवंतिका सिंह	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

10. ग्रंथालय समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्रीमती आंचल सिंह	-	सदस्य
4. कु .पुष्पा सोनम	-	सदस्य
5. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
6. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
7. श्री युवराज सिंह जगत	-	सदस्य

11. राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्रीमती आंचल सिंह	-	सदस्य
4. श्री बबलू प्रसाद चर्मकार	-	सदस्य
5. श्रीमती हेमलता साहू	-	सदस्य
6. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

  
30/11/2021  
PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

12. भूतपूर्व विद्यार्थी (एलुमनी) संपर्क समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

13. परीक्षा प्रकोष्ठ-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
4. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

14. छात्रवृत्ति समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

15. अपलेखन समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	सदस्य
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
4. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

16. ईको क्लब/पर्यावरण/स्वच्छता समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
3. श्रीमती अवंतिका सिंह	-	सदस्य
4. श्री बबलू प्रसाद चर्मकार	-	सदस्य
5. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
6. कृ. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
7. श्री साहिल जायसवाल	-	सदस्य
8. कृ. सपना टोप्पो	-	सदस्य

17. सूचना का अधिकार/लोक सेवा गारंटी-

1. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	जन सूचना अधिकारी (प्राचार्य)
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सहायक, जन सूचना अधिकारी
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
6. श्री युवराज सिंह जगत	-	सदस्य

  
30/11/2021  
PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadqawan, Distt. Korea (C.G.)

18. नैक प्रत्यायन समिति-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
6. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
7. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
8. श्रीमती हेमलता साहू	-	सदस्य

19. I.Q.A.C/U.G.C./A.I.S.H.E. प्रभारी-

1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी	-	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सदस्य
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

20. महाविद्यालय प्रवेश समिति-

1. डॉ. अजय कुमार सोनी (कला संकाय)	-	संयोजक
2. डॉ. योगेश कुमार तिवारी (विज्ञान संकाय)	-	संयोजक
3. श्री शत्रुघन सोनवानी (वाणिज्य संकाय)	-	संयोजक

*(Signature)*  
30/11/2021

(डॉ. अजय कुमार सोनी )

प्राचार्य IPAL

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ

जिला-कोरिया (छ.ग.)

खड़गवाँ दिनांक 30/11/2021

पृष्ठ क्रमांक/361 / समिति/2021-22

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग-अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय-बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी..... को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन/व्यक्तिगत नस्ती हे

*(Signature)*  
30/11/2021

(डॉ. अजय कुमार सोनी )

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ

जिला- कोरिया (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ  
जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर (छ.ग.)

Email- govtnaveencollege@gmail.com Website- govttmmcollegekhadgawan.in College Code -3706

क्रमांक/342(अ)/ समिति / 2022-23

खड़गवाँ दिनांक 15/10/2022

// आदेश //

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर (छ.ग.) में सत्र 2022-23 हेतु विभिन्न गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेंगे।

प्राचार्य/चेयरमैन—डॉ. अजय कुमार सोनी

1. स्टाफ कौंसिल—

1.अध्यक्ष	—	प्राचार्य
2.सचिव	—	श्री शत्रुघन सोनवानी
3.सदस्य	—	महाविद्यालय के समस्त स्टाफ

2. अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति—

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	—	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	—	सदस्य
3. श्री बबलू प्रसाद	—	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	—	सदस्य
5. कु. वर्षा तिवारी	—	सदस्य

3. क्रय समिति—

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	—	संयोजक
2. श्री रितेश गुप्ता	—	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	—	सदस्य

4. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक : प्रकोष्ठ

1.श्री शत्रुघन सोनवानी	—	संयोजक
2.श्री जनेश कुमार	—	सदस्य
3.श्री युवराज सिंह	—	सदस्य

5. आंतरिक शिकायत एवं महिला उत्पीड़न—

1. श्रीमती आँचल सिंह	—	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	—	सदस्य
3. कु. वर्षा तिवारी	—	सदस्य
4. कविता सोनवानी	—	सदस्य
5. कु. निधी	—	सदस्य

6. कैरियर गाइडेंस,काउंसलिंग व मोटिवेशनल प्रकोष्ठ—

1. डॉ. अजय कुमार सोनी	—	संयोजक
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	—	सदस्य
3. श्रीमती आँचल सिंह	—	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	—	सदस्य
5. श्री बबलू प्रसाद	—	सदस्य

PRINCIPAL  
GOVT. MA. MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN  
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR  
(CHATTISGARH)



## 7. सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. कु. वर्षा तिवारी	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
5. श्री साहिल जायसवाल	-	सदस्य
6. कु. कविता सोनवानी	-	सदस्य

## 8. छात्र संघ समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
4. श्री बबलू प्रसाद	-	सदस्य

## 9. क्रीडा समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य

## 10. ग्रंथालय समिति-


1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. श्रीमती हेमलता साहू	-	सदस्य
4. कु. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
5. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
6. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
7. श्री युवराज सिंह जगत	-	सदस्य

## 11. राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. कु. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
4. श्री बबलू प्रसाद	-	सदस्य
5. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
6. श्री प्रणव कर	-	सदस्य

## 12. भूतपूर्व विद्यार्थी (एलुमनी) संपर्क समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती आँचल सिंह	-	सदस्य
3. श्रीमती हेमलता साहू	-	सदस्य
4. कु. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
5. श्री बबलू प्रसाद	-	सदस्य
6. कु. वर्षा तिवारी	-	सदस्य

  
 PRINCIPAL  
 GOVT. MAA MAHARAYA COLLEGE KHADGAWAN  
 DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR  
 (CHATTISGARH)

13. परीक्षा प्रकोष्ठ-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
4. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
5. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
6. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

14. छात्रवृत्ति समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
3. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

15. अपलेखन समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
4. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
5. श्री युवराज सिंह	-	सदस्य

16. ईको क्लब/पर्यावरण/स्वच्छता समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री बबलू प्रसाद	-	सदस्य
4. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
5. कु. पुष्पा सोनम	-	सदस्य
6. कु. कविता सोनवानी	-	सदस्य
7. श्री साहिल जायसवाल	-	सदस्य
8. श्री महेश कुमार	-	सदस्य

17. सूचना का अधिकार/लोक सेवा गारंटी-

1. डॉ. अजय कुमार सोनी	-	जन सूचना अधिकारी (प्राचार्य)
2. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	सहायक, जन सूचना अधिकारी
3. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
4. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
5. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य
6. श्री युवराज सिंह	-	सदस्य

18. नैक प्रत्यायन समिति-

1. श्री शत्रुघन सोनवानी	-	संयोजक
2. श्रीमती ऑचल सिंह	-	सदस्य
3. श्री प्रणव कर	-	सदस्य
4. श्री बबलू प्रसाद	-	सदस्य
5. श्रीमती हेमलता साहू	-	सदस्य
6. श्री रितेश गुप्ता	-	सदस्य
7. श्री अक्षतानंद पाण्डेय	-	सदस्य
8. श्री जनेश कुमार	-	सदस्य

  
15/10/2022  
PRINCIPAL

19. I.Q.A.C. प्रभारी-

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री शत्रुघन सोनवानी   | - | संयोजक |
| 2. श्री रितेश गुप्ता      | - | सदस्य  |
| 3. श्री अक्षतानंद पाण्डेय | - | सदस्य  |
| 4. श्री जनेश कुमार        | - | सदस्य  |

20. U.G.C. प्रभारी-

श्री रितेश गुप्ता

21. A.I.S.H.E. प्रभारी-

श्री अक्षतानंद पाण्डेय

22. महाविद्यालय प्रवेश समिति-

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. डॉ अजय कुमार सोनी (कला संकाय)                | - | संयोजक |
| 2. श्री शत्रुघन सोनवानी (वाणिज्य/विज्ञान:संकाय) | - | संयोजक |

*Asw*  
15/10/2022

(डॉ. अजय कुमार सोनी)

प्राचार्य  
PRINCIPAL

शासकीय मा. महामाया महाविद्यालय, खडगवां  
जिला मनेन्द्रगढ़, चिसी, भवतपुर (छ.ग.)  
(CHATTISGARH)

पृष्ठ क्रमांक/342(ख) समिति/2022-23  
प्रतिलिपि:-

खडगवां दिनांक 15/10/2022

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग-अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय-बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....  
..... को सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन/व्यक्तिगत नस्ती हे

*Asw*  
15/10/2022

(डॉ. अजय कुमार सोनी)

प्राचार्य  
PRINCIPAL

शासकीय मा. महामाया महाविद्यालय, खडगवां  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN  
जिला मनेन्द्रगढ़, चिसी, भवतपुर (छ.ग.)  
(CHATTISGARH)



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवॉ,  
जिला – मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (छ.ग.)

LIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

COLLEGE CODE - 3706

WEBSITE - <http://govtmmcollegekhadgawan.in/>

AISHE CODE - C-9695

## GRIEVANCE REDRESSAL POLICY

The college has a Student's Grievance Redressal Committee. The functions of the Committee are to look into the complaints lodged by any student and judge its merit. The Grievance Redressal Committee is also empowered to look into matters of harassment. Anyone with a genuine grievance may approach the Grievance Redressal Committee members in person. In case the person is unwilling to appear in self, grievances may be sent in writing. Grievances may also be sent through e-mail to the officer in-charge of Student's Grievance Redressal Committee or Principal.

### Objective:-

The objective of the Grievance Redressal Committee is to develop a responsive and accountable attitude among all the stakeholders in order to maintain a harmonious education atmosphere in the institute.

A grievance Redressal Committee has been constituted for the redressal of the problems reported by the students of the College with the following objectives:

Upholding the dignity of the College by ensuring strike free atmosphere in the College through promoting cordial Student-Student relationship and Student-Teacher relationship etc.

- Encouraging the Students to express their grievances/problems freely and frankly, without any fear of being victimized.
- Suggestion/complaint box have been installed in front of the Administrative Block in which the Students, who want to remain anonymous, put in writing their grievances and their suggestions for improving the Academics/Administration in the College.
- Advising Students of the College to respect the right and dignity of one another and show utmost restraint and patience whenever any occasion of rift arises.
- Advising all the Students to refrain from inciting Students against other Students, Teachers and College Administration.
- Advising all staff to be affectionate to the Students and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason.

### **Responsibilities:-**

Provide an avenue for the aggrieved students to redress their individual grievances in other to have a healthy atmosphere among students, staff and management in the Institute.

- Discuss and resolve the grievances, if any received in writing from the concerned students.

### **Procedure:-**

- The setting of the Grievance Redressal Committee for students will be widely published.
- The students may feel free to put up a grievance and drop it in boxes placed at conspicuous locations
- The GRC will act upon those cases which have been forwarded along with the necessary documents.
- The GRC will take up only those matters which have not been solved by the different departments.
- Grievances related to fees etc will be taken up only if the relevant financial documents like demand drafts etc are attached.


In order to comply with the Government regulation for addressing student's or Parent's grievances in this Institution "Grievance Redressal Committee" of the Government Lahiri PG College, Chirimiri has been constituted to inquire the nature and extent of the grievance. The Committee can suggest the final action to be initiated at the Institutional level for the redressal of the same.

  
**I.Q.A.C. Incharge**  
**IQAC Co co-ordinator**

  
**PRINCIPAL**  
Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan  
Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)  
**Principal**



 RAJ LAW  
Publication

बी. के. सिन्हा   
ए. एक्का

उत्तीसगढ़  
ऑफिस मैनुअल

# हेण्डबुक



2022

पंचम संस्करण

राज लॉ पब्लिकेशन, रायपुर

# प्रस्तावना ( PREFACE )

## ( पंचम संस्करण )

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शासकीय कार्यालयों में, कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु, वर्ष 2019 में "छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल" नाम से एक हैण्डबुक का प्रकाशन किया गया है।

अब तक चार संस्करणों की सफलता एवं आशातीत उद्देश्यों की पूर्ति से उत्साहित होकर पंचम संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें शासन के नवीन अनुदेशों का समावेश किया गया है।

आशा है कि इस पुस्तक का पंचम संस्करण और भी लोकोपयोगी एवं लाभप्रद होगा।

दिनांक 10-09-2021

गणेश चतुर्थी

स्थान-रायपुर (छत्तीसगढ़)

बी.के. सिन्हा

भारतीय वन सेवा (से.नि.)

पूर्व पी.सी.सी.एफ.

छत्तीसगढ़ शासन

-०००-



## सेवा में नियुक्ति की शर्तें

(Conditions for Appointment in Services)

### 1. नियुक्ति का अभिप्राय—

आक्सफोर्ड शब्द कोष के आधार पर, 'नियुक्ति' का तात्पर्य, किसी कार्यालय में या उस कार्यालय के अधीन किसी पद पर किसी को नामित करने या रखने से है। लोक सेवा (जांच) अधिनियम 1850 की धारा 2 में शब्द 'नियुक्ति' का तात्पर्य किसी कार्यालय के किसी पद पर किसी व्यक्ति को विधिमान्य प्रक्रिया के आधार नामित करने को माना गया है।

**टिप्पणी—**(1) नियुक्ति (Appointment) का अर्थ किसी पद पर नामित करने से है न कि किसी सेवा में।

**टिप्पणी—**(2) कोई व्यक्ति किसी सेवा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जा सकता है परन्तु, अगर वह राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कार्यरत है, तब उस पद के लिए नियुक्ति (Appointment) राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा, एवं उस पद के लिए नियोक्ता प्राधिकारी (Appointment Authority) राज्य सरकार होगी। [कपूर सिंह वि. भारत संघ एवं अन्य, AIR 1956 पंजाब 58, 64 पर; ILR 1956 पंजाब 237]

### 2. सेवा शर्तें एवं नियुक्ति नियमावली—

जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेखित है, केन्द्र या राज्य शासन के अधीन सेवा का गठन, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति एवं सामान्य शर्तों से संबंधित नियमावली को लागू कर किया जाता है। इस नियमावली में ही नियुक्ति एवं इससे संबंधित भावी प्रक्रिया से संबंधित उपबंध रहते हैं। सामान्यतया, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उनके अधीन विभिन्न सेवा संवर्गों के लिए एक सामान्य एवं मानक नियमावली स्थापित की जाती है, जिसको पालन करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उनमें आवश्यक न्यूनतम संशोधन के माध्यम से विभागीय सेवा भर्ती नियमों को लागू करने कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।

**टिप्पणी—**नगरीय निकायो, पंचायती राज्य संस्थाओं तथा अन्य निगमित निकायों के अधीन पदों के लिए सेवा-भर्ती नियमावली, उन अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन स्थापित होती है, जिन अधिनियमों के माध्यम से ऐसी संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं।

### 3. नियुक्ति हेतु पात्रता—

नियुक्ति हेतु सामान्य पात्रता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम 1961 के अधीन निर्धारित है। परन्तु, विभिन्न विभागों द्वारा उनके पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिमार्जित स्वरूप में उन पदों के लिए विभागीय सेवा भर्ती नियमों को स्थापित कर नियुक्ति की पात्रता निर्धारित करती है।

यतः, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के



## 24 | छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल हैंडबुक

अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उल्लिखित "नियुक्ति के लिए पात्रता" संबंधी प्रावधान को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17 जनवरी, 2012 द्वारा उपांतरित करते हुए, आदेशित किया गया था कि "इन नियमों में अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम, आदेश, निर्देश, नियम अथवा विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के मात्र स्थानीय निवासी ही, उक्त अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए, संबंधित जिलों के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर भर्ती हेतु पात्र होंगे";

और यतः, उक्त अधिसूचना, 17 जनवरी, 2012 को दो वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था, जो 16 जनवरी, 2014 तक प्रवृत्त था;

और यतः, उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा एक वर्ष अर्थात् 17 जनवरी, 2014 से 16 जनवरी, 2015 तक की कालावधि के लिए बढ़ाया गया था और पुनः उक्त अधिसूचना की अवधि को, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 10 मार्च, 2015 द्वारा दो वर्ष अर्थात् 17 जनवरी, 2015 से 16 जनवरी, 2017 की अवधि के लिए तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 25 फरवरी, 2017 द्वारा दो वर्ष अर्थात् दिनांक 17 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के लिये बढ़ाया गया था;

और यतः, पुनः यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिसूचना की अवधि को आगामी तीन वर्ष की कालावधि के लिए बढ़ाया जाये तथा इसका विस्तारण कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी किया जावे;

अतएव, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, निर्देशित करते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 में उक्तवत् वर्णित अधिसूचनाओं द्वारा किया गया उपांतरण, आगामी तीन वर्ष अर्थात् 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2021 की कालावधि के लिए निरंतर प्रवृत्त रहेगा तथा यह कोरबा जिले के निवासियों के लिए भी विस्तारित होगा<sup>1</sup>[:]

<sup>2</sup>[परन्तु यह कि उक्त अधिसूचना का प्रभाव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14580 शिक्षक संवर्ग के पदों पर की जा रही भर्ती हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक/स्था-/विज्ञापन/सीधी भर्ती/2019/422-पीए, अटल नगर, दिनांक 09-03-2019 पर नहीं पड़ेगा।]

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 28-5-2019]

1. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 30-1-2020 द्वारा पूर्ण विराम "।" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 30-1-2020 द्वारा जोड़ा गया।



#### 4. नियुक्ति हेतु अपात्रता—

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा, जो निम्न में से कोई हो—

- (1) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- (2) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।
- (3) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।
- (4) जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
- (5) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है।

#### 5. नियुक्ति की रीति—

नियुक्ति की सामान्यतया तीन प्रकार की रीतियां होती हैं—

- (1) सीधी नियुक्ति द्वारा (लोक सेवा आयोग के माध्यम से या सीधे विज्ञापन के माध्यम से नामांकन प्राप्त कर या रोजगार कार्यालय से नाम बुलाकर, जैसा कि सेवा-भर्ती नियमों में उपबंधित हो),
- (2) पदोन्नति द्वारा,
- (3) किसी अन्य सेवा में या पद पर पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्मिलित स्थानांतरण या प्रति नियुक्ति से।

[छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का नियम 7]

#### 6. नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता—

पद के लिए शैक्षणिक अर्हता विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार होगी। फिर भी राज्य सरकार से यह निर्देश है कि शासकीय सेवाओं में भरती के लिए जहां न्यूनतम अर्हता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित है, वहां अब 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण निर्धारित की जाए, किन्तु साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार भी पात्र रहेंगे क्योंकि उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षा हाईस्कूल परीक्षा से उच्च स्तर की है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी-3-11/86/3/1, दिनांक 30-6-1986]

#### 7. सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा—

लोक सेवा के पदों पर भरती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा संबंधित विभाग के भरती नियमों में विहित की गई है, किन्तु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं है। पेंशन नियमों के अनुसार भी 18 वर्ष की आयु के बाद ही भरती होने पर सेवा को अर्हतादायी सेवा



## 26 | छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल हैण्डबुक

माना जाता है। इससे कम आयु में भरती होने पर उसे अर्हतादायी सेवा नहीं माना जाता है और उक्त अवधि की सेवा (भरती दिनांक से 18 वर्ष की आयु पर पहुंचने के मध्य की अवधि) को बाल सेवा के समान मानकर पेंशन हेतु गणना में नहीं लिया जाता है।

### 8. सीधी नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा—

- (1)(क) सीधी भर्ती के पदों पर अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष नियत है।
- (ख) छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष नियत की गई है।
- (ग) उपरोक्त 'क' एवं 'ख' संबंधी प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती नियमों में जो आयु सीमा संबंधी व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है, उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिए लागू रहेगी।
- (घ) अन्य विशेष वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेंगी परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ3-2/2002/1-3, दिनांक 16-9-2008]

शिक्षित बेरोजगारों के हित में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासन की सेवा में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों हेतु केवल स्थानीय निवासियों (छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों) हेतु एक बार के लिये 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावे। इस प्रकार स्थानीय निवासियों के लिए एक बार हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट प्राप्त है, वह यथावत ही बनी रहेगी किन्तु ऐसी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शासन का उक्त निर्णय पुलिस विभाग के लिए लागू नहीं है। यह निर्णय इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से लागू किया गया है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ-3-2/2002/1-3, दिनांक 23-09-2013]

(2) संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट—राज्य शासन के निर्णयानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की है जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ3-2/2002/1-3, दिनांक 30-01-2012]

(3) इस विभाग के समसंख्यक संदर्भित परिपत्र दिनांक 23-1-2017 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भर्ती के पदों में की जाने वाली भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेंडर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी, उक्त अवधि दिनांक 31-12-2018 को समाप्त हो गई है।



2. छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01-01-2019 से 31-12-2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. दिनांक 01-01-2019 अथवा उसके पश्चात् जारी विज्ञापनों में भी अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि कर सकता है।

4. उक्त छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 3-2/2015/1-3, दिनांक 30-1-2019]

### 9. महिला उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट—

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं को नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की और छूट प्राप्त है।

(2) विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 के स्थान पर 35 वर्ष नियत है। तलाकशुदा महिला को तलाक के संबंध में न्यायालय या जाति रिवाज के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता महिला को राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से कम का न हो, का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित महिला को विवाह के पश्चात् उसके पति ने औपचारिक रूप से तलाक प्राप्त किये बिना छोड़ दिया है और उसे उसके पति से कोई गुजारा भत्ता भी प्राप्त नहीं हो रहा है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी-3-11/84/3/1, दिनांक 24-04-1984

तथा क्र. सी-3-25/88/3/49, दिनांक 29-3-1989]

### 10. वर्ग विशेष के उम्मीदवारों में विशेष छूट—

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए: 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ3-3/74/3/1, दिनांक 16-3-1974]

(2) अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए: 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ7-26/93/3/1, दिनांक 20-1-1994]

(3) आदिम जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पती के सवर्ण पार्टनर को: 5 वर्ष

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी-3-10/85/3/1, दिनांक 28-6-1985]

(4) खेल पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी/युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट—राज्य शासन के निर्णयानुसार शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को



सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्राप्त होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ19-2/2005/1/3, दिनांक 1-12-2006]

(5) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को आयु सीमा में छूट—तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सेवा योग्य नेत्रहीन, गूंगे-बहरे तथा अपंग उम्मीदवारों के लिए: 10 वर्ष।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 550-2532/1(3)/80, दिनांक 12-2-1981]

### 11. शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट—

शिक्षा कर्मियों को शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने पर अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्षों की छूट दी गई है जितने वर्ष उसने शिक्षाकर्मों के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक प्राप्त होगी। इसके लिए 6 माह से अधिक के लिए एक वर्ष की सेवा मानी जाएगी।

इन निर्देशों से जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट प्राप्त है, प्रभावित नहीं होगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ1-2/2002/1/3, दिनांक 2-6-2004]

### 12. पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में आवेदन करने पर आयु सीमा में छूट—

उपरोक्त विषय के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पंचायत कर्मियों को उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने पंचायत कर्मों के रूप में सेवा की है। इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

2. शासन ने विभिन्न निर्देशों द्वारा जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिला आदि) वे निर्देश इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ1-2/2002/1/3, दिनांक 10-6-2004]

### 13. सीधी भर्ती से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट—

निम्न श्रेणी लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना, एक अनिवार्य अर्हता है। फिर भी अर्हक उम्मीदवारों के अभाव में बिना परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इस शर्त के साथ नियुक्त कर लिया जाता है कि वे दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। तब तक उन्हें नियमित नियुक्त नहीं माना जाता है और इस सेवा का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे नियुक्त कर्मचारियों को आगे निकट भविष्य में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1, दिनांक 16-1-1992 जारी कर यह निर्देश दिये हैं कि अब भविष्य में समय सीमा बढ़ाए जाने के कोई आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा प्रति वर्ष आयोजित होती है। कर्मचारी उसमें शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करें। यदि नहीं कर सकेंगे तो वे अपने वेतनमान



### 18. एडहाक एवं अस्थाई नियुक्तियों में अंतर—

(i) अस्थाई रूप से की गई नियुक्ति को स्थाई नियुक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, जो अस्थाई रूप से नियुक्त व्यक्ति के आचरण, कार्य उत्कृष्टता एवं सत्य निष्ठा पर आधारित होगा जबकि एडहाक नियुक्ति में ऐसा नहीं है।

(ii) 'अस्थाई नियुक्ति' में किए गए कार्य अवधि को नियुक्त व्यक्ति की वरीयता निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है, जबकि एडहाक कर्मचारी की वरीयता निर्धारित नहीं होती है।

(iii) भले ही, अस्थाई नियुक्ति अल्प अवधि के लिए की जाती है परन्तु यह नियुक्ति उस सेवा के लिए निर्धारित (अधिवार्षिकीय) आयु तक चल सकती है, जबकि एडहाक नियुक्ति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) 'अस्थाई नियुक्ति' में पेंशन का प्रावधान होता है जबकि एडहाक नियुक्ति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(v) 'अस्थाई नियुक्ति' में बिना किसी जांच के किसी को सेवा से पृथक नहीं किया जा सकेगा जबकि एडहाक नियुक्ति में अवधि पूर्ण होने के बाद ऐसा व्यक्ति स्वयं सेवा से हट जावेगा।

### 19. परिवीक्षा पर नियुक्ति—

<sup>1</sup>[(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।]

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के आधार परिवीक्षाकाल की अवधि को बढ़ा सकते हैं, किन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं।

(3) परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को उसके परिवीक्षाकाल में ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जैसा सेवा भर्ती नियमों में विहित है।

(4) परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक की सेवाएं परिवीक्षाकाल में समाप्त भी की जा सकती हैं, यदि नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के विचार में वह उपयुक्त न पाया जाए।

(5) परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक की सेवाएं जिसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है या जो उस सेवा या पद के लिए अनुपयुक्त पाया जाए, परिवीक्षाकाल के अंत में समाप्त भी की जा सकती है।

[छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 का नियम 8]

### 20. सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत—

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती से नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के समस्त

1. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र. एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28-7-2020 द्वारा प्रतिस्थापित। छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-7-2020 पृष्ठ 661 पर प्रकाशित।



पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 22-सी(1) में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिया जाये। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाये।

2. राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाये।

3. (1) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 367/वित्त/नियम/चार/2020, दिनांक 28-07-2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-07-2020 में हो चुका है।

(2) छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22-सी (1) में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत; तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3, दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

4. (1) राज्य के सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए निम्नानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये :-

(क) सीधी भर्ती के पदों पर चयनित समस्त कर्मियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत;



के भर्ती नियम में जब तक संशोधन की कार्यवाही पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक विभिन्न संस्थाओं के भर्ती नियम यथावश्यक स्वयमेव संशोधित माने जायेंगे। नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने के संबंध में अनुषांगिक कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। उक्तानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों/संस्थाओं को अधिकृत किया गया है।

5. अतः संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे शीघ्र उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

[वित्त विभाग क्र. 375/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 6-8-2020]

उक्त प्रावधान लागू होने के उपरांत भी कतिपय विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/कलेक्टर कार्यालयों द्वारा शासन के उपरोक्त नियम/निर्देशों के विपरीत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, जो सर्वथा शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत है।

अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/कलेक्टर कार्यालयों एवं शासन के अधीन निगम/मंडल/बोर्ड/आयोग/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में दिनांक 28-7-2020 से की गई नियुक्ति में शासन के नियम/निर्देशों के विपरीत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, 3 वर्ष की परिवीक्षा के साथ नियत स्टायपेण्ड पर करने का आदेश जारी करें।

उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत करावें। ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी, जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति आदेश जारी किया जाना पाया जाता है तो, उन नियुक्ति प्राधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 8-3-2021]

## 21. विकलांगों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट—

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. 294/2411/1(3)/74, दिनांक 18-4-1975 सहपठित ज्ञाप क्र. 844/2621/1(3)/75, दिनांक 11-12-75 के अनुसार ऐसे विकलांग उम्मीदवार जिनके हाथ स्थाई रूप से विकृत होने के कारण मुद्रलेखन सीखने में असमर्थ हैं, केवल उन्हें ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर हिन्दी मुद्रलेखन की अर्हता से छूट प्राप्त है।

## 22. लोक सेवा आयोग के अलावा छत्तीसगढ़ की शासकीय सेवा में भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के विद्यालय/महाविद्यालयों से शैक्षणिक अर्हता की अनिवार्यता—

अविभाजित मध्यप्रदेश में उपरोक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञापन क्र. 3-25/97/3 एक, दिनांक 2-8-97, 28-8-97, 2-12-97 एवं क्र. एफ3-5/98/3/एक, दिनांक 27-3-98 तथा 3-1-2000 जारी किया गया है, जिनका अनुकूलन छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। उपरोक्त परिपत्रों के द्वारा लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उम्मीदवार को हायर सेकेण्डरी या स्नातक परीक्षा राज्य में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। परिपत्र दिनांक 2-12-97 द्वारा समस्त चयन प्रक्रिया में अर्थात्



### 34 | छत्तीसगढ़ ऑफिस मैनुअल हेण्डबुक

प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा किए जाने वाले चयन हेतु भी उपरोक्त शर्त लागू की गई है।

याचिका ओ.ए.क्र. 502/98 रीतेश कुमार शर्मा विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-12-97 तथा याचिका डब्ल्यू.पी.क्र. 4611/99 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4-1-2006 के परिप्रेक्ष्य में, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन निरस्त किए जाए। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ3-25/97/3/एक, दिनांक 2-8-97, 28-8-97, 2-12-97 एवं क्र. एफ-3-5/98/3/एक, दिनांक 27-3-98 तथा 3-1-2000 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

समस्त विभागों द्वारा सेवा भरती नियमों में तदनुसार संशोधन किया जाए।

[ सामान्य प्रशासन विभाग क्र. 54/838/2010/1/3, दिनांक 18-1-2011 ]

### 23. ऑनलाईन आवेदन के साथ ही डाक द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित करने विषयक—

राज्य शासन की सेवाओं में सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागीय सेवा भर्ती नियमों में प्रावधानों के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही की जाती है। राज्य शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि वर्तमान में शासन के विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाकर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण ऐसे ग्रामीण अंचल जहाँ ऑनलाईन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ शिक्षित बेरोजगार ऑनलाईन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने से वंचित हो रहे हैं।

अतएव ग्रामीण क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्देश जारी किए जाते हैं कि राज्य शासन की सेवाओं में सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर की जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया में विभागों द्वारा "ऑनलाईन" आवेदन के साथ-साथ "डाक" द्वारा भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार आवेदक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित न हों।

[ सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ 19-1/2014/1-3, दिनांक 26-2-2014 ]

### 24. एक पद पर दो या दो से अधिक नियुक्ति—

(1) दो या दो से अधिक शासकीय कर्मचारी एक स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते।

(2) कोई शासकीय कर्मचारी अस्थायी व्यवस्था के अतिरिक्त दो या अधिक स्थायी पदों पर एक ही समय में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(3) कोई शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्य शासकीय कर्मचारी का धारणाधिकार है।

[ मूल नियम 12 ]

### 25. नियुक्ति होने के उपरान्त अपात्र होने पर कार्यवाही—

नियुक्ति के उपरान्त अपात्र होने पर राज्य शासन द्वारा निम्न निर्देश प्रसारित किए गए हैं—



**28. रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में—**

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों क्र. 170/बी/चार, दिनांक 2-5-2014 (वित्त निर्देश 27/2014), क्र. 202/ब-4/चार, दिनांक 8-5-2014 (वित्त निर्देश 29/2014), क्र. 118/ब-4/चार, दिनांक 2-5-2015 (वित्त निर्देश 12/2015), क्र. 99/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 2-5-2016 (वित्त निर्देश 10/2016), क्र. 161/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 2-5-2017 (वित्त निर्देश 16/2017) एवं क्र. 179/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 2-5-2018 (वित्त निर्देश 25/2018) द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष तक के लिए प्रभावशील रहेंगे।

3. ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2019-20 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।

4. विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।

5. यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ-साथ सभी निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण/विश्वविद्यालय/अनुदान प्राप्त-स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए भी लागू होंगे।

6. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

[वित्त विभाग क्र. 153/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 29-4-2019]

**29. शीघ्रलेखक, स्टेनोग्राफिस्ट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर संबंधी अर्हता जोड़ने एवं संस्थाओं को मान्यता के संबंध में—**

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 9-4/2005/1/3, दिनांक 7 अप्रैल, 2005, दिनांक 7 जून, 2007 तथा परिपत्र क्र. एफ 9-4/2015/1-3, दिनांक 23-1-2015 द्वारा शीघ्रलेखक, स्टेनोग्राफिस्ट, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड-3 के पदों पर नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर संबंधी अर्हता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :—

- (1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।



2141 (49) (46)  
 पञ्चालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
 शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, परिसर रायपुर (छ.ग.)

कमांक 217 / आउशि/ब. यो./2010  
 प्रति,

रायपुर. दिनांक 31/2010

प्राचार्य,  
 शासकीय महाविद्यालय  
 खडगवां, जिला-कोरिया (छ.ग.)।

विषय:- खडगवां, जिला-कोरिया में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत।


संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक 6045 एफ 3-21/2010/38-1 रायपुर  
 दिनांक 02.07.2010 ।

—000—

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार खडगवां, जिला-कोरिया में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान कला एवं वाणिज्य संकाय चालू शैक्षणिक 2010-11 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 अस्थाई पदों के सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की यू.ओ. कमांक 234/30283/वित्त विभाग/ब-3/2010, दिनांक 28.06.2010 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
<b>शैक्षणिक पद</b>			
1	प्राचार्य, स्नातक	01	37400-67000 AGP रु.10000+2000/- विशेष भत्ता
2	सहायक प्राध्यापक (अ) विज्ञान संकाय (रसायन, प्राणीशास्त्र, वनस्पति )	03	15600-39100+ AGP रु.6000
	(ब) कला संकाय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल)	05	15600-39100+ AGP रु.6000
	(स) वाणिज्य संकाय	02	15600-39100+ AGP रु.6000
<b>अशैक्षणिक पद</b>			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 AGP रु.2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 AGP रु.2400
5	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	5200-20200 AGP रु.2400
6	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 AGP रु.1900
7	भृत्य	02	4750-7449- AGP रु.1300
	योग	19	

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2009-10 में मान संख्या - 41-उच्च शिक्षा- 2202 - शासकीय शिक्षा-03- विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा, - (102)- विश्वविद्यालय और सरकारी कॉलेज संस्थाएं - (0102) - अनुसूचित जनजाति उप योजना - 738 - कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत दिखलाई देता।

  
 राज्य शिक्षा



218

/आउशि/ब-यो./2010

रायपुर, दिनांक 31/7/2010

लिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
  2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
  3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
  4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
  5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
  6. कलेक्टर जिला-बैकुण्ठपुर छ.ग.।
  7. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर की ओर इस निर्देश के साथ महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के आदेश तत्काल जारी कर पालन प्रतिवेदन की प्रति संचालनालय को उपलब्ध करावें।
  8. संयुक्त संचालक, (राज.स्था./अराज.स्था./बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर।
  9. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, चिरमिरी जिला-कोरिया (प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खडगवां, जिला-कोरिया का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है तदनुसार प्रवेश की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें)
  10. संबंधित कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
- ..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव  
उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर (छ.ग.)





कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ,  
जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

AFFILIATED TO SANT GAHIRA GURU UNIVERSITY, SARGUJA, AMBIKAPUR (C.G.)

EMAIL - govtnaveencollege@gmail.com

WEBSITE - http://govtmmcollegekhadgawan.in/#/home

COLLEGE CODE - 3706

AISHE CODE - C-9695

क्रमांक / 113 / अतिथि व्याख्याता / 2023

खड़गवाँ, दिनांक 14/07/2023

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन //

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 3-54/2020/38-1 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/07/2023 के परिपालन में शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ, जिला- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों में अतिथि व्याख्याताओं की अध्यापन व्यवस्था की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय के पते पर दिनांक 15/07/2023 से 24/07/2023 तक शाम 05.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्राप्त होने पर ही मान्य होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या
01	हिन्दी	01

शैक्षणिक योग्यता:-

1. यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार।

मानदेय:-

1. अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति होने पर प्रति व्याख्यान रूपये 300/- (तीन सौ रूपये मात्र) जो प्रतिदिन रूपये 1200/- (एक हजार दो सौ रूपये मात्र) तथा प्रतिमाह रूपये 31200/- (इक्तीस हजार दो सौ रूपये मात्र) की सीलिंग के अधीन भुगतान किया जायेगा।

नियम:-

- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन की जावेगी।
- अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा न ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
- लोक सेवा आयोग से नियुक्ति/स्थानांतरण/शासन के आगामी आदेश/संतोषजनक सेवा न होने पर अतिथि व्याख्याता का पद बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।
- चयनित आवेदक के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक नहीं है। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

  
14/07/2023

(डॉ. अजय कुमार सोनी)

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ  
जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN  
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI-BHARATPUR  
(CHATTISGARH)

पृष्ठ क्रमांक / / अतिथि व्याख्याता / 2023

खड़गवां दिनांक .....

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग- अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय- बैकुंठपुर, जिला-कोरिया (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कार्यालयीन प्रति ।

-sd-

(डॉ. अजय कुमार सोनी)

प्राचार्य

शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवां  
जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)

**PRINCIPAL**

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE KHADGAWAN  
DIST. MANENDRAGH-CHIRIMIRI BHARATPUR  
(CHATTISGARH)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खड़गवाँ,  
जिला :- मनेन्द्रगढ़-चिरिमरी-भरतपुर (छ.ग.)

Email - govtmcollege@gmail.com Website- govtmmcollegekhadgawan College code -3706

क्रमांक /3521/ कम्प्यूटर ऑपरेटर / 2022

खड़गवाँ, दिनांक 26/10/2022

// कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु विज्ञापन //

जनभागीदारी की बैठक दिनांक 22.10.2022 के अनुसार शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, खड़गवाँ जिला :- एम.सी.बी. (छ.ग.) में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद के विरुद्ध व्यवस्था की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2022 से 31.10.2022 तक शाम 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन केवल डाक द्वारा अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें।) ही मान्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.	पदनाम	रिक्त पद की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	बारहवीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर से एक वर्ष का डिप्लोमा

टीप :-

- कम्प्यूटर ऑपरेटर पद की सेवायें भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
- मानेदय - प्रतिमाह जनभागीदारी समिति द्वारा निर्धारित देय राशि रुपये 6000.00 का भुगतान किया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी।
- कम्प्यूटर ऑपरेटर किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अन्तर्गत नहीं माने जायेंगे, और वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अन्तर्गत "लोक सेवा" नहीं माने जायेंगे।
- आवेदक अपना मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पता आवेदन फार्म में अवश्य उल्लेख करें।
- कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से शायं 05:30 तक महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से सेवाएँ प्रदान करनी होंगी।

पृ० क्रमांक /328/ कम्प्यूटर ऑपरेटर / 2022

प्रतिलिपि :-

- अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय, जिल:- एम.सी.बी. (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- महाविद्यालयीन सूचना पटल।
- कार्यालयीन नस्ती।

प्राचार्य  
शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय  
खड़गवाँ, जिला :- एम.सी.बी. (छ.ग.)  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
KHADGAWAN, DIST.-M.C.B. (C.G.)  
खड़गवाँ, दिनांक 26/10/2022


प्राचार्य  
शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय  
खड़गवाँ, जिला :- एम.सी.बी. (छ.ग.)  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
KHADGAWAN, DIST.-M.C.B. (C.G.)













## Academic Session 2021-22

SL.No.	Programme	Resource Persons	Organizing Unit/Department	Scheme	Date	Purpose	Outcomes
1	कोविड -19 टीकाकरण	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र -खड़गवां ,जिला-कोरिया ( छ.ग.)	-	सहभागिता कार्यक्रम	28.06.2021	विद्यार्थियों को संस्था के माध्यम से कोविड-19 के बचाव हेतु टीकाकरण कराने के साथ -साथ टीकाकरण हेतु प्रेरित किया	कोविड -19 के बचाव हेतु टीकाकरण के लिये विद्यार्थियों को जागरूक किया गया
2	"लैंगिक असमानता एवं रोको-टोको कोविड जागरूकता"	सुश्री रुयाना खान , सामाजिक कार्यकर्ता,जिला-कोरिया (छ.ग.)	-	जागरूकता	13.01.2022	लैंगिक विभेद की समस्या को दूर करते हुये लैंगिक समानता को बढ़ाने देने के लिये जागरूकता का प्रयास करना	महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं में व्यापक रूप से लैंगिक विभेद की समझ को विकसितकरना ताकि लैंगिक विभेद की समस्या को दूर किया जा सके

  
**I.Q.A.C. Incharge**

  
**PRINCIPAL**  
 Govt. Maa Mahamaya College Khadgawan  
 Dist-Manendragarh-Chirimiri-Bharatpur(C.G.)



शासकीय माँ महामाया महाविद्यालय खडगवां जिला- कौरिया (द्वि.गण) में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों तथा समस्त छात्रों व व्याख्याताओं को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिनांक 28/06/2021 को कोविड-19 का टीकाकरण शिविर आयोजित है। इस शिविर में महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जाना है। इस हेतु आप सभी महाविद्यालय में समय अतः 10:30 बजे अपनी उपस्थिति देने ताकि आप सभी के सहयोग से इस टीकाकरण शिविर को सफल बनाया जा सके।

*Arus*  
26-06-2021

डॉ. अजय कुमार लोनी  
**PRINCIPAL**

GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Dist. - Koria (C.G.)


- 1 DR. DEEPAKSINGH - *Arus*
- 2 DR. YOGESH KUMAR TIWARI - *Arus*
- 3 SHRI SHIVRUPNATH SHARMA - *Arus*
- 4 SHRI RITESH GUPTA - *Arus*
- 5 SHRI. BANESH KUMAR - *Arus*
- 6 SHRI. AKSHAYANAND PRASAD - *Arus*
- 7 SHRI. PUNJAB SINGH SHARMA - *Arus*
- 8 SHRI. TULSI RAM - *Arus*
- 9
- 10


*Arus*  
26/6/21




सूचना

दिनांक 12/01/2022

शा. मा. महामाया महाविद्यालय खड़गवां जिला-  
कोरिया (छ.ग.) दिनांक 13/01/2022 को  
लैंगिक अस्मानता एवं रोक रोक कोविड  
जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन  
किया गया है अमरन्त छात्र छात्राओं को  
सूचित किया जाता है कि 13/01/2022 को  
महाविद्यालय में उपर्युक्त शैकर कार्यक्रम को  
सफल बनाये।

  
कार्यक्रम अधिकारी  
नाम-अंचल सिंह

  
12/01/2022  
प्राचार्य  
PRINCIPAL  
GOVT. MAA MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt. Korea (C.G.)

- 1. डॉ. योगेश कुमार तिवारी (सं. प्रा. अंग्रेजी) 
- 2. श्री शत्रुघ्न खोन्वानी (सं. प्रा. वाणिज्य) 
- 3. हेमलता खाड़ (अतिथी व्याख्याता)
- 4. पुष्पा खोन्म (अतिथी व्याख्याता)
- 5. वर्षा तिवारी (अतिथी व्याख्याता)
- 6. श्रीमति अवंतिका सिंह (अतिथी व्याख्याता) 

क्र०	नाम	कक्षा	हरना०
1	नेहा	B.A. III	Nehe
2	प्रभावती	B.A. III	प्रभावती
3	सविता	B.A. III	सविता
4	सोनी	B.A. III	सोनी
5	गायत्री	B.A. III	गायत्री



- |    |                |                         |             |
|----|----------------|-------------------------|-------------|
| 6  | शुष्मि दानवार  | B.A. III                | Sushmi      |
| 7  | शीमा           | B.A. III                | Shima       |
| 8  | पिपती परधान    | B.A. III                | Pipati      |
| 9  | Kausha Sonwani | B.Sc. III               | Kausha      |
| 10 | संजना राजक     | B.Sc. III               | Sanjha      |
| 11 | मानकुंद        | B.Sc. III               | Manikumand  |
| 12 | डावल           | B.Sc. III               | Daval       |
| 13 | कलावती         | B.Sc. III <sup>rd</sup> | Kalavati    |
| 14 | फूलकुंवर       | B.A. I                  | Phoolkumari |
| 15 | सोनम           | B.A. I                  | Sonam       |

PRINCIPAL


GOVT. MAHARAJA COLLEGE  
Kashipur Dist. Kashi




कार्यक्रम विवरण



13.01.2022

शा. मां महागाय महाविद्यालय खड़गवां जिला  
कोरिया (छ. ग.) दिनांक 13/01/2022 को  
लैंगिक प्रसमानता एवं रोको टोको कोविड जागरूकता  
कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें  
मुख्य वक्ता के रूप में सुश्री रुमाना खान  
जी जिन्होंने लैंगिक प्रसमानता, महिला विकास,  
महिला उद्योग से संबंधित जानकारी प्रदान  
की तथा रोको टोको कोविड जागरूकता से  
संबंधित महाविद्यालय से थाना तक जागरूकता  
रैली निकाली गई।

  
कार्यक्रम अधिकारी  
नाम- आंचल सिंह

  
13/01/2022  
प्राचार्य  
PRINCIPAL  
GOVT. MAH MAHAMAYA COLLEGE  
Khadgawan, Distt- Korea (C.G.)

1. सुश्री रुमाना (मुख्य वक्ता)
2. हेमलता झा (अतिथी व्याख्याता)
3. पुष्पा शोणम (अतिथी व्याख्याता)
4. वर्षा तिवारी (अतिथि व्याख्याता)
5. क्षीमति शंक्ती सिंह (अतिथि व्याख्याता)

  
13/01/2022  
  
13/01/2022  
Anant Kalyan

क्र.	नाम	कुटा	हस्ता.
1	प्रेमवती	B.A.I	प्रेमवती
2	Sunida	B.A.I	Sunida
3	अम्बवती	B.A.I	अम्बवती
4	Khushbun	B.A.I	Khushbun
5	शम्भु	B.A.I	शम्भु
6	संगीष्ठा	B.A.I	संगीष्ठा
7	गीता सिंह	B.A.I	गीता सिंह
8	मीना	B.A.I	मीना
9	नीरा	B.A.I	नीरा
10	सुकुमनिया	B.A.I	सुकुमनिया
11	दुगावती	B.A.I	दुगावती
12	दीप्ती	B.A.I	दीप्ती
13	सुखीयती	B.A.I	सुखीयती
14	सुमित्रा	B.A.I	सुमित्रा
15	योगेश्वरी	B.A.I	योगेश्वरी
16	संजना स्वर्गी	B.A.I	संजना स्वर्गी
17	वीक्षणी	B.A.II	वीक्षणी
18	सीमा	B.A.II	सीमा
19	सुकुमि धनकर	B.A.II	सुकुमि
20	नेहा	B.A.II	Neha
21	शोमती	B.A.II	Shimati
22	पद्मावती	B.A.II	पद्मावती
23	जांरावती	B.A.II	जांरावती
24	सविता	B.A.II	सविता
25	जयन्ती	B.A.II	जयन्ती
26	सावित्री	B.A.III	सावित्री
27	रीतु	B.A.III	रीतु
28	मनीषा	B.A.III	मनीषा
29	रीता	B.A.III	रीता



			ममता
30	ममता	B.A. III	
31	कायल	B.Sc II	Kayal
32	सुशीला	B.Sc II	Sushila
33	सरिता	B.Sc II	सरिता
34	मायावती	B.Sc II	मायावती
35	रीतन	B.Sc II	<del>रीतन</del>
36	कविता सोनवला	B.Sc II	<del>कविता</del>
37	संजना राजक	B.Sc II	Sanjina
38	अधना दीपो	B.Sc III	अधना
39	जानकी	B.Sc III	जानकी
	समता	B.Com II	समता









शानवीनसहाविद्यालय  
सहगर्वा  
जिला-कोरिया (छ०प्र०)



















28/06/2021 12:21







28/06/2021 12:26











28/06/2021 12:35









# रंग कमन्युकेशन सेल्स एण्ड सर्विस

Mob. 7610121376

रंग



173

संस्कृत में ही सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा प्रशिक्षण से निरंतर सुनिश्चित करें

एक बच्चा एक दिन एक शब्द सीखता है

एक बच्चा एक दिन एक शब्द सीखता है

एक बच्चा एक दिन एक शब्द सीखता है



शाखा ब्रडगवाँ



कोविड टीके की दोनों डोज़ें हैं ज़रूरी  
कोविड संक्रमण से मिले सुरक्षा पूरी

**डोज़ 2**

दूसरी डोज़ें लेना चाहिए  
कोविड टीके के लिए सुरक्षा पूरी

**डोज़ 1**

पहली डोज़ें लेना चाहिए  
कोविड टीके के लिए सुरक्षा पूरी





# कोविड टीके की दोनों डोज़ हे ज़रूरी कोविड संक्रमण से मिले सुरक्षा पूरी

डोज़ 1



सुरक्षा हेतु, आपको दो डोज़ की  
टीका देना जरूरी है, यदि आप  
दो डोज़ ही लेंगे तो

डोज़ 2



दो डोज़ ही दिए जाते हैं  
कोविड से सुरक्षा के  
लिए जरूरी है

कोविड टीका का  
सुरक्षा हेतु, दो डोज़  
दिए जाते हैं









**कोविड टीके की दोनों खीज़ें हैं जरूरी**  
**कोविड संक्रमण से मिले सुरक्षा पूरी**

**दोसरा**  
 पहला खीज़ा के बिना दूसरी खीज़ा के काम नहीं करेगी। सुरक्षा के लिए दोनों खीज़ें जरूरी हैं।

**पहला**  
 संक्रमण से रोकने के लिए कोविड टीका लेना जरूरी है, लेकिन उसे खीज़ा के अनुसार लेना है।

कोविड टीका का  
 निर्माण, भारत सरकार द्वारा

सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ टीका (Vaccine)  
 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित किया गया है।  
 अधिक जानकारी के लिए: [www.moh.gov.in](http://www.moh.gov.in)

© 2021 भारत सरकार। सभी अधिकार सुरक्षित हैं।







# कोविड टीके की दोनो डोज है जरूरी कोविड संक्रमण से बिले सुरक्षा पूरी

डोज 2

कौन सा है जो दोनो डोज लेना जरूरी है ?  
सुरक्षा के लिए

डोज 1

दोनों डोज लेना जरूरी है।  
कोविड संक्रमण से बिले सुरक्षा पूरी













कोविड टीके की दोनों डोजें हैं जरूरी  
कोविड संक्रमण से मिले सुरक्षा पूरी

डोज 2

दो डोजों में एक साल  
की है एक पूर्ण सुरक्षा  
कैसे सुरक्षा मिले?



डोज 1

पहले ही डोज में एक ही  
साल की सुरक्षा है, उसे जो  
दूसरा डोज मिले



कोविड टीके को  
पूरी सुरक्षा के लिए



**धुविन**  
विश्वीय (World's Best) दवाइयों की श्रृंखला

**सूर्या शक्ति**  
कैल्सियम कैपसूल  
शक्तिशाली कैल्सियम  
शक्तिशाली कैल्सियम

**अर्शोना**  
बवासीर  
खुनी एवं बादी बवासीर से  
कुटकारा पाने की प्रभावशाली

**मुहाँ केपार**  
मुँह के रोगों के लिए  
सर्वोत्तम दवाइयों में से एक  
मुँह के रोगों के लिए सर्वोत्तम दवाइयों में से एक

**धुविन**  
विश्वीय (World's Best) दवाइयों की श्रृंखला

**सूर्या शक्ति**  
कैल्सियम कैपसूल  
शक्तिशाली कैल्सियम  
शक्तिशाली कैल्सियम

**अर्शोना**  
बवासीर  
खुनी एवं बादी बवासीर से  
हानि रहित आयुर्वेदिक औषधि

**मुहाँ केपार**  
मुँह के रोगों के लिए  
सर्वोत्तम दवाइयों में से एक  
मुँह के रोगों के लिए सर्वोत्तम दवाइयों में से एक



